

व्यभचार और संबंधति पेचीदगर्ियाँ

प्रलिमिस के लयि:

[संसदीय समतियाँ](#), कानूनी स्थायी बनाम वधियाी कार्रवाई, भारत में व्यभचार पर कानूनी स्थति।

मेन्स के लयि:

व्यभचार को अपराध घोषति करने के पक्ष और वपिक्ष में तरक

[सरोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यो?

[गृह मामलों की संसदीय समति](#) ने सुझाव दया है कि भारतीय दंड संहति (IPC), 1860 को बदलने के लयि प्रस्तावति कानून [भारतीय न्याय संहति \(BNS\)](#), 2023 में [व्यभचार](#) को एक अपराध के रूप में फरि से स्थापति कया जाना चाहयि।

भारत में व्यभचार को लेकर कानूनी स्थति क्या है?

■ व्यभचार :

- व्यभचार एक ववाहति व्यकर्ता (पुरुष या महिला) द्वारा अपने जीवनसाथी के अलावा कसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने का स्वैच्छिके कार्य है।

■ भारत में कानूनी स्थति:

- वर्ष 2018 से पहले [भारतीय दंड संहति में धारा 497](#) शामिल थी, जो व्यभचार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में वर्गीकृत करती थी, जसिमें पाँच वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती थी।
 - वशिष रूप से [धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को दंड का सामना करना पड](#) सकता था, जबकि महिलाओं को अभयोजन से छूट थी।
 - यह व्यभचार की व्यापक परभाषा के वपिरीत है, जसिमें वैवाहिक जीवन से बाहर स्वैच्छिके [शारीरिक संबंधों में शामिल दोनों लगिों को शामिल कया गया है](#)।
- [जोसेफ शाइन बनाम यूनयिन ऑफ इंडया \(2018\)](#) के एक ऐतहासिके मामले में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने सर्वसम्मतसे [धारा 497](#) को रद्द कर दया।
 - सरकार ने भेदभाव और संवैधानिके उल्लंघनों पर प्रकाश डाला, भारतीय संवधान के [अनुच्छेद 14, 15 और 21](#) पर जोर देते हुए क्रमशः [समानता, गैर-भेदभाव और जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा की](#)।
- हाल ही में [गृह मामलों की संसदीय समति](#) ने [भारतीय न्याय संहति \(BNS\)](#), 2023 में व्यभचार को एक अपराध के रूप में फरि से स्थापति करने का प्रस्ताव रखा।
 - हालाँकि यह एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का सुझाव देती है [कइसे लैंगिक-तटस्थता की स्थति प्रदान की जाए जो पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू हो](#)।
 - यह तरक दया गया कि [धारा 497 को भेदभाव के आधार पर रद्द कर दया गया](#) था तथा लैंगिक-तटस्थता से इस कमी को दूर कया जा सकेगा।

कानूनी स्थति बनाम वधियाी कार्रवाई:

- गृह मामलों की संसदीय समतिके हालयि प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी स्थतिके चुनौती प्रतीत होता है।
- [सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय देश के कानून के समान है](#)। हालाँकि संसद सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का उल्लंघन नहीं कर सकती है लेकिन उसके पास कानून पारति करने का अधिकार है जो नरिणय के आधार को संबोधति करता है, जसिका लक्ष्य पहचाने गए दोषों को दूर करना है, जबकि संभावति रूप से न्यायालय की टपिपणयिों के साथ संरेखति करने के लयि पूर्वव्यापी अथवा भावी कानूनों पर वधियार करना होगा।

- मद्रास बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी मान्यकानून को वैध ठहराने के लिये उसे प्रारंभिक नरिणय में पहचाने गए दोष का प्रभावी ढंग से समाधान करना होगा।
 - इसका तात्पर्य यह है कि यदि कानून द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पूर्व के नरिणय के दौरान हुए थे तो उन्हें उठाए गए मुद्दे को इस तरह से संबोधित करना चाहिये था कि दोष को उजागर होने से रोका जा सके।

व्यभचार को अपराध घोषित करने के पक्ष तथा वपिक्ष में क्या तर्क हैं?

- **वैवाहिक पवतिरता का संरक्षण:** समर्थकों का तर्क है कि व्यभचार को अपराध घोषित करने से **वविाह** संस्था की सुरक्षा होती है, जिससे समाज के भीतर इसकी पवतिरता तथा पारंपरिक मूल्य बने रहते हैं।
- **नविरक प्रभाव:** व्यभचार को दंडनीय अपराध बनाना एक नविरक के रूप में कार्य कर सकता है, जेव्यक्तियों को वविाहेतर संबंधों में शामिल होने से हतोत्साहति कर सकता है, जिससे ऐसी घटनाओं में कमी आएगी।
- **कानूनी सहारा:** व्यभचार को अपराध घोषित करना **वैवाहिक वशि्वसनीयता के उल्लंघन को संबोधित करने के लिये एक कानूनी अवसर** प्रदान करता है जो वशि्वस तोड़ने वाले कार्य के लिये पीड़ित पति अथवा पत्नी को सहारा प्रदान करता है।
- **नैतिक आधार:** कुछ लोगों का तर्क है कि व्यभचार **नैतिक रूप से अनुचित** है और इसलिये **सामाजिक मानदंडों तथा नैतिक मानकों** को दर्शाते हुए कानून के तहत यह दंडनीय होना चाहिये।
- **व्यभचार को अपराध घोषित करने के वरिद्ध तर्क:**
 - **स्वायत्तता और गोपनीयता:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यभचार को अपराध घोषित करने से वैवाहिक संबंधों में व्यक्तगित स्वायत्तता का उल्लंघन हो सकता है।
 - व्यभचार को अपराध घोषित करना संवैधानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से **अनुच्छेद 21** के उल्लंघन के रूप में देखा गया, जो पति-पत्नी दोनों की गरमि और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करता है।
 - यह सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों को दंडनीय अपराध के बजाय **तलाक के आधार के रूप में संबोधित किया जाना चाहिये**।
 - **दीवानी बनाम आपराधिक मामला:** आलोचकों का तर्क है कि व्यभचार **मुख्य रूप से एक दीवानी मामला है, जो वविाह में वशि्वस के उल्लंघन पर केंद्रित है**।
 - परिस्थितियों को देखते हुए इसे एक दंडनीय अपराध मानना उचित नहीं होगा, जिससे समस्या अनावश्यक रूप से बगिड़ सकती है।
 - **रशितों पर प्रभाव:** व्यभचार को दंडनीय अपराध मानने से तनावपूर्ण रशिते और भी खराब हो सकते हैं।
 - **कानूनी अडचनें भावनात्मक संकट को बढ़ा सकती हैं** और पति-पत्नी के बीच मेल-मिलाप की संभावनाओं को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
 - **कानूनी जटलिता:** व्यभचार में अक्सर रशितों के अंदर **व्यक्तपिरक और सूक्ष्म परिस्थितियाँ** शामिल होती हैं।
 - ऐसे मामलों पर कानून बनाने और मुकदमा चलाने का प्रयास कानूनी जटलिताओं को जन्म दे सकता है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर व्यक्तपिरक मामलों का बोझ बढ़ सकता है।

नषिक्ष:

व्यभचार की जटलिताओं से नषिटने के लिये एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। **कानूनी सुधार, वधिायी कार्रवाइयों और सामाजिक जागरूकता** को संतुलित करना एक **नषिक्ष तथा सामजस्यपूर्ण** कदम के रूप में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

वधिकि दृष्टिकोण:

[जारकरम को अपराध के रूप में पुनः स्थापित करना](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>